

कार्यालय आदेश

इस विभाग के पत्रांक एफ.18 (आई-51) निजभूस/आई.डब्ल्यू.एम.पी./ 2011-12/ 4800-5087 दिनांक 5.8.2011 के द्वारा स्वीकृत जलग्रहण प्रबन्धन परियोजना हेतु वर्ष 2011-12 में स्वीकृत जलग्रहण क्षेत्रों के संबंध में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी।

परियोजना प्रबन्धक डब्ल्यू.सी.डी.सी. टोंक के प्रस्ताव के अनुसार टोंक आई.डब्ल्यू.एम.पी.- 13 परियोजनान्तर्गत निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र. सं.	भारत सरकार/निदेशालय द्वारा जारी एएस/एफएस के मैक्रो/माईक्रो के नम्बर	संशोधित किए गए मैक्रो/माईक्रो का नम्बर	कारण
1	20/1, 19/2,3,4, व 10/1	9/1,2, 6/9,10, व 10/1	परियोजना प्रबन्धक टोंक द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त परियोजना की पी.पी.आर. 7 में टंकन की त्रुटि से गलत मैक्रो/माईक्रो नं. अंकित हो गए थे।

उपरोक्त संशोधन से परियोजना का क्षेत्रफल/लागत एवं प्रस्तावित ग्राम भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति अनुसार ही यथावत है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
(एस.एल.एन.ए.) एवं निदेशक

एफ. 20(आई-87)आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजभूस 2012-13/ 0676-87 दिनांक 11/12/11
प्रतिलिपि:-

1. सयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू-संसाधन विभाग, ब्लॉक-11 सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली।
2. निजि सचिव, निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलेक्टर, टोंक।
4. अति.निदेशक (प्रशासन/आई.डब्ल्यू.एम.पी) निदेशालय, जयपुर।
5. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
6. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय, जयपुर।
7. परियोजना प्रबन्धक, जिला परिषद, टोंक।
8. लेखाधिकारी, जिला परिषद, टोंक।
9. सहायक अभियन्ता एवं पी.आई.ए. पंचायत समिति, निवाई (टोंक)
10. ए.सी.पी. निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त कार्यालय आदेश को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने का श्रम करे।

अति.निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)